कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/प्रारं/नियु.प्रको./नियु.2/982/शि.भ.–18/या.सं. 4907–19/2020 दिनांक :– 23/01/2020

विज्ञप्ति

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की खण्डपीठ द्वारा डी.बी.सिविल याचिका संख्या 4907/2019 नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइण्ड व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य तथा अन्य कनेक्टेड याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 22.07.2019 पर राज्य सरकार की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 18.09.2019 में आदेश के विरूद्व अपील नही करने का निर्णय लिये जाने एवं राज्य सरकार के पत्रांक पं. 18(110)प्राशि/वि.प्र./18 दिनांक 20.09.2019 की पालना में पंचायती राज विभाग के आदेश क्रमांक एफ 918() पराप्राशि/2017/पार्ट/08 दिनांक 07.01.2020 द्वारा शिक्षक भर्ती 2018 अन्तर्गत वरीयता सूची में शामिल होने के लिये राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 277(क) के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया में संशोधन कर दृष्टिबाधित श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों को राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 60 प्रतिशत में 20 प्रतिशत की छूट दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विधालय अध्यापक सीधी भर्ती 2018 अन्तर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित क्षेत्र में तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल प्रथम (सामान्य शिक्षा एवं विशेष शिक्षा) तथा लेवल द्वितीय (सामान्य शिक्षा एवं विशेष शिक्षा) के विभिन्न पदों पर ***दृष्टिहीन/दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों से दिनांक 28.01.2020 से 29.01.2020 तक ऑफ लाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते है।***

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा रीट–2015 एवं रीट–2017 के परिणाम संशोधन से 40 प्रतिशत या इससे अधिक अंको से उत्तीर्ण दृष्टिहीन/दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नानुसार निदेशालय में उपस्थित होकर ऑफ लाईन आवेदन जमा करवा सकते हैः–

1. आवेदन पत्र निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा के कार्यालय में लिये जायेंगे।
2. आवेदन पत्र व्यक्तिशः अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से ही स्वीकार किये जायेंगे।
3. शिक्षक भर्ती 2018 अन्तर्गत अध्यापक लेवल प्रथम (विज्ञप्ति दिनांक 12.04.2018) एवं लेवल द्वितीय (विज्ञप्ति दिनांक 31.07.2018) के पदों हेतु जारी मूल विज्ञापन की शर्तो के अनुसार ही ऑफ लाईन आवेदन स्वीकार किये जायेंगे।
4. आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यताओं तथा राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्रों की स्व–प्रमाणित प्रति संलग्न करनी अनिवार्य होगी।
5. आवेदन पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी 40 प्रतिशत या उससे अधिक दृष्टिहीन/दृष्टिबाधित होने के प्रमाण–पत्र की स्व प्रमाणित प्रति व मूल प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
6. शिक्षक भर्ती 2018 अन्तर्गत अध्यापक लेवल प्रथम/लेवल द्वितीय के विज्ञप्तियों में दृष्टिहीन/दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों हेतु क्षैतिज रूप से विज्ञापित पदों में से शेष अपूरित पदों की सीमा तक ही चयन की कार्यवाही की जायेगी।
7. अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में जिलों की प्राथमिकता क्रम अनिवार्य रूप से अंकित करना अनिवार्य होगा।
8. जिन दृष्टिहीन/दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में ऑन लाईन आवेदन किया जा चुका है उनका आवेदन स्वीकार नही किया जायेगा।
9. आवेदन पत्र का प्रारूप व अन्य दिशा–निर्देश विभागीय वेबसाईट **www.education.rajasthan.gov.in/elementary** पर उपलब्ध है।

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा एवं पं.राज(प्राशि)
राजस्थान बीकानेर।